तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इ…
15.05.2024	वादीगण के वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। तहसील कार्यालय धोरीमन्ना में तामिल हेतु सवार/तामिल कुनिन्दा के पद रिक्त होने से वादीगण वकील प्रतिवादीगण के सम्मन तामिली हेतु जरिये डाक रजिस्टर एडी पेश करे। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी एवं मौका रिपोर्ट का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
28-6-24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उप०। वादीगण वकील ने प्रतिवादीगण को जारी सम्मन मय डाक डिलीवरी रिपोर्ट पेश की, शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के जवाब का इन्तजार होकर आइन्दा 16.8.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
16-8-24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को जरिये नोट प्रेस कर राजस्व वाद को इसी स्तर खारीज करने का निवेदन किया है। वादीगण अधिवक्ता ने इस बाबत् आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व वाद को इसी स्तर पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

224
17-5-24

Not press
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:01:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner